FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान

कैलाशचन्द पुत्र मदनलाल सा. टोडास तहसील कुचामन	बनाम	गालचन्द पुत्र बोदूराम निवासी–टोडारा, तहसील कुचामन

किस्म मुकदमां : 212 आरटीए मुकदमा नम्बर 254 /2024

.तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 254/24	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
27.08.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल शर्मा ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। वकील प्रार्थी पक्ष को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम–टोडास तहसील कुचामनसिटी के खसरा नं. 1329/528 रकबा 4.1900 हैक्टैयर, खसरा नं. 529 रकबा 2.00 हैक्टेयर, खसरा नं. 981 रकबा 3.7000 हैक्टेयर कुल रकबा 5.70 हैक्टेयर को अप्रार्थीगण संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण विलेख, रहन अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं करे। अप्रार्थी संख्या 9 उक्त खसरे की भूमि के संबंध में पंजीयन दस्तावेज स्वीकार नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 10 राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 30.09.2024 को वास्ते तलबी पेश हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
28/9/24	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल शर्मा उपस्थित। प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रा. पत्र जरिये विड्रोल खारिज करवाना के संबंध में प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2024 को पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य में राजीनामा हो चुका है तथा प्रार्थी प्रा.पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थी पक्षकारान की तामील नहीं हुई है तथा पक्षकारान के मध्य में राजीनामा होना तथा प्रार्थना पत्र हाजा को आगे नहीं चलाना वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2024 में अंकन किया तथा आज तारीख पेशी पर जाहिर किया है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र लोक अदालत की भावना से जरिये विड्रोल खारिज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	28/09/24